प्रतिवादीगण——

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.बाबत घोषणा

मिलान किया

निर्णय दिनांकः– 5.2.2021

वादीगण की ओर से श्री भानूप्रताप सिहं अधिवक्ता व श्री अमरजीत सिहं अधिवक्ता प्रतिवादीगण वाद में आज दिनांक 5.2.2021 को कपिल यादव, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री जारी की जाती है वादीगण व प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वादपत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 जेठाराम के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 के.एस.पी. के खाता संख्या 61/47 सम्वत 2077–2080 तादादी 2.783 हैक्टेयर का वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित करने के आदेश दिये जाते हैं व उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त खाता संख्या 61/47 से प्रतिवादी संख्या 1 जेठाराम का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथानहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 5.2.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रमाणित प्रतिलिपि

मोहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलैक्टर
हनुमानगढ़

प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
कलेक्ट्रेट, हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner